	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

के.रा.फा. / सूरत. / 2–271 / जूली. / 2020–21 / दिनांक 22.01.2020.

अल्पकालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के फार्म परिसर में खड़े जूली–फ्लोरा जड़ से खोदकर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने एवं अपनी जे.सी.बी. लगा कर जड़ो को निकाल कर ले जाना होगा एवं उस एरिया को साफ एवं समतल कर के देने हेतु वर्ष 2020 की अवधि के लिए इच्छुक ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें खण्डवार दिनांक 31.01.2020 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपह्यन 2:30 बजे खोली जायेगी। एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 31.01.2020 को दोपहर 12:15 बजे तक किया जायेगा। उपरोक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रुपये 20,000.00 प्रति खण्ड (रुपये बीस हजार प्रति खण्ड मात्र) का बैक डिमान्ड–ड्राफ्ट / RTGS/NEFT/Online जो कि नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड,सूरतगढ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ (फार्म का खाता नं0 34056542572, IFSC कोड नम्बर SBIN0007774) पर देय हो, निविदा के साथ जमा / संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्ते किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236 / – का डिमान्ड–ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खातें में जमाकर ,जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक का खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते अपरमहाप्रबंधक (उत्पादन / फार्म)

नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड
(भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिलाश्रीगंगानगर (राज.)
फोनः 01509-223873
ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873

क्रमांकः के.रा.फा./सूरत./2–271/जूली./2020–21/ दिनांक 22.01.2020.

निविदा प्रपत्र

फार्म की निविदा सूचना क्रमांक के.रा.फा./सूरत./2–271/जूली./2020–21/ दिनांक 22.01.2020 निविदा के अनुसार फार्म परिसर मे खड़े जूली–फ्लोरा जड़ से खोदकर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने एवं अपनी जे.सी.बी लगा कर जड़ो को निकाल कर ले जाना होगा एवं उस एरिया को साफ एवं समतल कर देने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, उसमे वर्णित कार्यो हेतु अपनी प्रस्तावित दर दे रहा हूँ। मैने नियम व शर्तो के अनुसार फार्म परिसर मे खड़े जूली–फ्लोरा हेतु रूपये 20,000 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्रॉफ्ट धरोहर राशि के रूप मे जमा/ RTGS/NEFT/Online जमा करवाकर रसीद साथ मे संलग्न कर रहा हूँ । मैने निर्धारित नियम –शर्ते ध्यान से पढ ली है। मै निर्धारित नियम एंव शर्तो के अनुसार कार्य करूगाँ।

1. निविदादाता का नाम :...
2. पिता/पति का नाम :...
3. पूरा पता :...
4. दूरभाष नंबर/ मोबाईल नं. :...
5. बैंक का नाम एवं पता ,खाता नं. एवं IFSC Code :...
....
6. पैन नं. :...(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. पहचान पत्र नं.(वोटर आई.डी., आधार कार्ड आदि) ....(स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।)
8. निविदा शुल्क (रू. 236/–) : रसीद सं ....दिनांक ....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सं/RTGS/NEFT नं. ....दिनांक जारी कर्ता बैंक ....शाखा ....(ड्राफ्ट संलग्न)
9. जे.सी.बी. एवं कुत्तर की मशीनों की सूची एवं संख्या (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

क्रमांक	कार्य का विवरण	खण्ड	दर प्रति क्विंटल तौल के आधार पर (कुत्तर के ले जाने पर)
1	के.रा.फा.सूरतगढ,फार्म परिसर में पर खड़े जूली–फ्लोरा जड़ से खोदकर, कुत्तर कर तौल के आधार पर ले जाने एवं अपनी जे.सी.बी लगा कर जड़ो को निकाल कर ले जाना होगा एवं उस एरिया को साफ एवं समतल कर देने हेतु।	खण्ड एक	
		खण्ड दो	
		खण्ड तीन	

हस्ताक्षर...

	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873	

के.रा.फा./सूरत./2-271/जूली./2020-21/ दिनांक 22.01.2020.

जूली -फ्लोरा को जड़ से खोदकर, कुत्तर कर, तौल के आधार पर ले जाने एवं उस स्थान को साफ एवं समतल कर देने बाबत् नियम-शर्ते

1. फार्म के अलग - अलग खण्डों में खड़े जूली -फ्लोरा को ''जहाँ है जैसा है'' के आधार पर जड़ से खोदकर, कुतर कर, तौल के आधार पर ले जाने एवं ठेकेदार अपनी जे.सी.बी. लगाकर जड़े पूर्ण रूप से निकालकर स्थान को साफ एवं समतल करेगा।
2. एक ठेकेदार केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकेगा।
3. ठेकेदार फार्म के खण्ड प्रभारी व चक प्रभारी के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।
4. ठेकेदार को लिखित में देना होगा कि उसके पास कम से कम 4-5 कुतर मशीने प्रति खण्ड एवं 2 जे.सी.बी. प्रति खण्ड के लिए होनी चाहिए तथा सफाई कार्य के लिए वह जे.सी.बी. की व्यवस्था कर कार्य समय पर पूरा कर देगा।
5. उपरोक्त कार्य करने का समय सुबह 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रहेगा।
6. ठेकेदार केवल जूली -फ्लोरा को ही काटेगा, कुतर करेगा एवं जड़ निकाल कर एरिया साफ करेगा। अन्य किसी भी प्रकार की झाड़ी/लकड़ी नहीं काटेगा।
7. जूली -फ्लोरा की कुत्तर कर तुलाई का कार्य सांय 4.30 बजे तक करवाना होगा।
8. जूली -फ्लोरा की कुत्तर (वेस्ट मेटिरियल) को तुलाई के उपरान्त तुरन्त फार्म क्षेत्र की परिधि से बाहर करना होगा।
9. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दूसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नही करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र मे वह संदिग्ध व्यक्तियों को नही रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीक करवाकर, उसकी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा । उसके अनुसार ही उन्हे कार्य टोकन जारी किया जायेगा। यदि ठेकेदार या उसके कामगार आवंटित क्षेत्र के अलावा फार्म परिसर मे खड़े शीशम, कीकर व अन्य प्रजातियों के पेड़ पौधों को काटते एंव ले जाते हुए पकड़े जाते है, तो आवंटित कार्य को रद्द करते हुए, ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
10. ठेकेदार को लगभग 200 क्विंटल जूली -फ्लोरा की कुत्तर (वेस्ट मेटिरियल) का रिलीज आर्डर अग्रिम लेना होगा।
11. ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संतोषजनक ढ़ंग से नही किया जाता है अथवा नियम एंव शर्तो का पालन नही करता है तो उसका आवंटित कार्य तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर ली जायेगी और उसका कार्य, उस पर आने वाली लागत खर्च एवं जोखिम दूसरे पार्टी से करवाया जाएगा तथा उसकी भरपाई/वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी।
12. कुत्तर(वेस्ट मेटिरियल) भरने से पूर्व ठेकेदार को सुरक्षा विभाग से टोकन लेना आवश्यक है तथा वह टोकन सुरक्षा विभाग को जमा करवाना होगा।
13. प्रतिदिन 200 क्वि. जुली-फ्लोरा कुत्तर कर ले जाना होगा।
14. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि जनवरी,2020 से मार्च, 2020 तक रहेगी। जो कि आपसी सहमति के बाद तीन माह के लिए बढाई जा सकती है।
15. वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को 5 (पांच) दिनों मे शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
16. टोकन 12 बजे तक दिया जायेगा।
17. जूली -फ्लोरा कुत्तर भरने से पूर्व खण्ड दो को भी सुचना देगा।
18. शिफ्टिंग कार्य फार्म परिसर मे करने की अनुमति नही होगी। यदि फार्म प्रशासन को यह प्रतीत होगा कि कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है तो फार्म स्वतत्र होगा कि आवंटित ठेका रद्द कर जमा समस्त राशि जब्त कर और उसका कार्य, उस पर आने वाली लागत खर्च एवं जोखिम दूसरे पार्टी से करवाया जाएगा तथा उसकी भरपाई/वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी।

19. पहचान–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
20. जमा धरोहर राशि कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर ही बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
21. निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 100/– रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तो को करार के रुप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा।
22. ऊपर दिए गये परिदिष्ट में किसी भी प्रकार के नियमों की परिभाषा, व्याख्या/वर्णन/अनुवाद निर्देशक केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ द्वारा दी जाएगी जो र्स्व मान्य होगी।
23. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सहप्रबध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिटेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायालय मे क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अन्तर्गत एकल मध्यस्थ के सुनवाई होगी।

निविदाता के हस्ताक्षर...

निविदादाता का नाम/पित का नाम..

पूरा पता..

मोबाइल न0..